प्राधिकरण की 61वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.06.2004 का कार्यवृत्त

बोर्ड बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गई तथा उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक मे उपस्थित सभी सदस्यो का स्वागत किया गया ।

गत बोर्ड बैठक दिनांक 4.12.2003 की कार्यवाही पर अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी करते हुए कार्यवाही को विस्तृत रूप से लिखे जाने हेतु निर्देश दिए तथा यह भी कहा गया कि भविष्य में आख्या में किये गये कार्यो का विवरण विस्तार से लिखा जाय और बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरान्त गत बोर्ड बैठक दिनांक 4.12.2003 की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अनुपालन आख्या अनुमोदित की गई एवं तत्पश्चात् बोर्ड की 61 वीं बैठक हेतु प्रस्तुत एजेण्डा के बिन्दुओ पर निम्नानुसार विचार व अनुमोदन किया गया:

विषय कमांक :1 वित्तीय वर्ष 2004–2005 का प्रस्तावित बजट

वर्ष 2003–2004 का संशोधित एवं वर्ष 2004–05 के लिए प्रस्तावित बजट पर चर्चा के समय अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2003–2004 की राजस्व की वास्तविक प्राप्तियॉ रू0 1114–35 लाख के सापेक्ष अधिष्ठान एवं कार्यालय अनुरक्षण आदि पर (राजस्व व्यय) रूपये 550–59 लाख व्यय होने के कारण रू0 563–76 लाख सरप्लस राशि रहने पर तथा प्राधिकरण की सम्पत्ति से प्राप्त रू0 603.47 लाख आय हुई। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि गत वर्ष रू0 1000.74 लाख की आय के सापेक्ष वर्ष 2003–04 में 1132–63 लाख कुल राजस्व आय की प्राप्ति हुई। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये है कि चालू वित्तीय वर्ष में भी स्वैच्छिक शमन योजना लागू की जाए। सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन द्वारा गत वर्ष हडको से लिए गये ऋण के सम्बन्ध मे पूछने पर सहायक लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि गत वर्ष हडको से 5157–42 लाख ऋण लिया गया और चालू वित्तीय वर्ष में भूमि अर्जन एवं नयी योजनाओ के कियान्वयन हेतु हडको एवं वित्तीय संस्थाओ से रू0 दो सौ करोड ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। ऋण की किश्तों से रिपेमेंन्ट के विषय में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि समय से

सभी किश्तो का भुगतान हो रहा है तथा हडको से Best Authority का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। बजट पर चर्चा के उपरान्त वर्ष 2004–2005 के लिए आय पक्ष रू0 35977–49 लाख एवं व्यय पक्ष हेतु रू0 35444.35 लाख स्वीकृत किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा एक अच्छा बजट बताते हुए बजट की सराहना की गयी।

(कार्यवाही सहायक लेखाधिकारी)

<u>विषय कमांक : 2 ग्राम बिधौली में पैट्रोलियम एवं उर्जा अद्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में ।</u>

बोर्ड बैठक में चर्चा के दौरान निम्न निर्णय लिये गये:–

1–भूउपयोग परिवर्तन शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णयलिया गया।

2–न्यूनतम् भूखण्ड क्षेत्रफल 10 हैक्टेअर को कम करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह मन्तव्य व्यक्त किया गया कि यदि शासन द्वारा शिथिलीकरण किया जाता है तो प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

3–24 मीटर मार्गाधिकार को शिथिल करने के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि मौके पर पूर्व निर्मित सड़क मात्र 6 मीटर उपलब्ध है जोकि निर्धारित मानको से काफी कम है। बोर्ड द्वारा आपत्ति के साथ प्रस्ताव शासन को भेजे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही सहायक अभियंता मसूरी)

विषय कमांक 3 :– ग्राम गुजराडा मानसिह परवादून के खसरा नम्बर 589,590,602 में एल0 पी0 जी0 गैस गोदाम की अनुमति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि मानचित्र की तकनीकी जॉच करते हुए सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करा ली जाय तथा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लेते हुए एल0पी0जी0 गैस गोदाम का मानचित्र स्वीकृति पर बोर्ड की सहमति के साथ प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

विषय कमांक 4 :–उत्तरॉचल पेयजल निगम के मुख्यालय भवन के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विकास, उपविभाजन, पर्यवेक्षण तथा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के साथ भू–उपयोग आवासीय से कार्यालय में किये जाने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

विषय कमांक 5 :– आई0 एम0 ए0 सोसाईटी उत्तरॉचल द्वारा देहरादून में ब्लड बैंक की स्थापना हेतु देय शुल्कों में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि ओ0एन0जी0सी0 द्वारा उक्त संस्था को भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई गयी है तथा स्टाम्प डयूटी की पूर्णतः छूट प्रदान की गयी है, इसलिये संस्था द्वारा जनहित में लाभ हानि रहित कार्य किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए अपवाद स्वरूप इस प्रकरण में मानचित्र स्वीकृति हेतु रू0 262780.00 की छूट प्रदान करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण में छूट अपवाद स्वरूप दी जा रही है, अतः इस मामले को अन्य मामलो में नजीर न बनाया जाये। अतः इसी के अनुरूप स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाय।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

विषय क्रमांक 6:– प्राधिकरण की रिस्पनापुरम आवासीय योजना से लगी अवशेष भूमि पर आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि अवशेष भूमि पर आवासीय योजना ही रखी जाय और कुल प्रस्तावित भवनो में से 25 प्रतिशत भवन प्राधिकरण के अधिकारियो/कर्मचारियो के आवास हेतु तथा 75 प्रतिशत भवन विक्रय हेतु चिन्हित कर दिये जाय। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के सचिव के आवास का प्राविधान भी किया जाना आवश्यक है। सम्पूर्ण विवरण तैयार कर अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

विषय क्रमांक 7:– भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमन्य सीमा से कम होने पर जनता अदालत में आवासीय मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। बोर्ड को अवगत कराया गया कि उल्लिखित मानचित्रों को न्यूनतम क्षेत्रफल से कम होने के कारण तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा जनता अदातल में स्वीकृति का निर्णय लिये जाने के उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। अतः सर्व सम्मति से प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

विषय क्रमांक 8 :– जनता अदालत में वास्तविक विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव में प्रस्तुत सूची के अवलोकन व विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से उपाध्यक्ष स्तर से प्रदान की गयी स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही समस्त सहायक अभियंता)

विषय कमांक 9:–रिक्त सम्पत्ति का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा आंवटित रिक्त सम्पत्ति (जिसमें केदारपुरम, डालनवाला, इन्दिरापुरम फेस प्रथम, द्वितीय व तृतीय सम्मिलित है) सम्बन्धी प्रस्ताव अवलोकित किया गया और साथ ही अध्यक्ष द्वारा निम्न बिन्दुओ पर जानकारी चाही गयी:–

(1) आंवटित सम्पत्तियों की कुल संख्या
(2) आवंटन के सापेक्ष कितने आवंटियो द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करा ली गयी हैं।
(3) कितने "डि–फाल्टर" हैं।

अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि आंवटित सम्पत्ति को लेने में आवेदक असमर्थ रहते हैं तो उन्हें आवश्यक नोटिस भेजकर अग्रिम कार्यवाही की जाय और यदि आवश्यक हो तो आवंटन निरस्त करते हुए सम्पत्ति का पुनः आवंटन नियमानुसार अन्य व्यक्तियों को कर दिया जाय और इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आगामी बोर्ड बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही अनुसचिव)

विषय कमांक 10:– भवन मानचित्र सं0 सी–0029/03–04 श्रीमती बदर विनते अजहर द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र स्थल विशेष की स्थिति में स्वीकृत करने के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा चर्चा के दौरान यह अवगत कराया गया कि यह मानचित्र पूर्व निर्मित भवन लाईन से काफी पीछे अर्थात भूखण्ड लाईन से 28 फीट की दूरी पर तथा पूर्व निर्धारित पार्किंग मानको के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि अन्य निर्माण अधिकतर 10 फीट की दूरी पर है। अतः ऐसे पूर्व दृष्टांत के अनुरूप सर्व सम्मति से प्रस्ताव पर कार्योतर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

विषय कमांक 11:– मसूरी क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र के उपरान्त भवनो में विकास शुल्क / अन्य शुल्कों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

बोर्ड बैठक दिनांक 4.12.03 को दी गयी स्वीकृति निरस्त की गई तथा बोर्ड बैठक दिनांक 6.8.01 का निर्णय यथावत् रक्खे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

विषय कमांक 12:– मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट सम्बन्धी प्रकरणों में राय, तैयारी एवं पैरवी करने हेतु श्री सुधांशु धूलिया एडवोकेट के प्रति रिट भुगतान एवं रिटेनरशिप की अवधि को दिनांक 1.4.2004 से 1.4.2005 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव में चर्चा में अध्यक्ष तथा सचिव वित्त द्वारा श्री धूलिया की सराहना के साथ ही दिनांक 1.4.2004 से एक वर्ष की अवधि बढाते हुए दिनांक 1.4.2005 तक रिटेनरशिप रू0 7000/– प्रतिमाह एवं रू0 8500/– प्रति रिट मय समस्त खर्च सहित दिये जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही उपसचिव)

विषय कमांक 13:–प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह जानकारी दी गई कि इस प्रकार के कई प्रकरण होंगे जहॉ ऐसी परेशानियॉ आ रही होंगी अतः उनका भी विस्तृत सर्वे करा लिया जाय तथा सर्वे कराने के उपरान्त इन्हें भी इस प्रस्ताव के साथ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। ग्राम लाडपुर, चकराय एवं रायपुर के प्रस्ताव को छोड़कर ग्राम चालंग, ढाकपट्टी, निरंजनपुर–मण्डी आढ़त व करनपुर खास के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही तहसीलदार)

विषय क्रमांक 14:– ग्राम आमवाला तरला में खसरा नं0 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 280, 281, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 371, 396, 375 को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि बोर्ड की अगली बैठक में यह विवरण भी प्रस्तुत किया जाय कि ऐसे अन्य कुल कितने प्रकरण है और सभी का व्यापक सर्वे कराकर पूर्ण औचित्य के साथ विवरण प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही समस्त सहायक अभियंता)

विषय क्रमांक 15:–ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान नगर निगम कार्यालय के क्षतिग्रस्त जे0सी0वी0 डोजर के मरम्मत के भुगतान के सम्बन्ध मे।

बोर्ड बैठक मे चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि श्री डोगरा के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण कार्यवाही हेतु निगम कार्यालय से एक जे0सी0वी0 मांगा गया था। ध्वस्वीकरण कार्यवाही के दौरान उक्त जे0सी0वी0 क्षतिग्रस्त हो गया। जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु नगर निगम द्वारा सम्बन्धित आथोराइज्ड डीलर मै0 क्लासीफाइड आटो डिस्ट्रीव्यूटर, गोबिन्द नगर रेसकोर्स से रूपये, 77,429.87 (सतहत्तर हजार चार सौ उन्तीस रू0 सतासी पैसे) का आगणन प्रस्तुत किया गया। निर्णय लिया गया कि उक्त धनराशि नगर निगम के पक्ष में रिलीज कर दी जाय तथा श्री डोगरा से धनराशि वसूली की कार्यवाही भी की जाय।

(कार्यवाही उपसचिव)

विषय कमांक 16 :–द्रोण इण्टर नेशनल स्कूल सोसाइटी द्वारा 49 सुभाष रोड देहरादून में प्रस्तुत भवन मानचित्र संख्या 2090/03–04 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि उक्त निर्माण को पुराना मानने का कोई औचित्य नहीं है। यदि संस्थान बिना अनुमति के चल रहा है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाय, जिसके लिए सक्षम अधिकारी कार्यवाही करें तथा यदि भू–परिवर्तन सम्बन्धी मामला है तो प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय।

(कार्यवाही सहायक अभियता)

विषय कमांक 17:– हरिद्वार रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या/सम्पत्ति सं0–253/189 पर आवासीय क्षेत्र में होटल निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई । आवासीय क्षेत्र में होटल का प्रस्ताव है। अतः निर्णय लिया गया कि आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक प्रकृति का निर्माण अनुमन्य न किया जाय। प्रस्ताव निरस्त किया गया।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

अनुपूरक विषय कमांकः–1 ग्राम पौधा, तहसील व जिला देहरादून के खसरा नं0 1231,1232,1233,1234 व 1235 में श्री राम चन्द्र मिशन द्वारा प्रस्तुत मेडीटेशन हॉल के निर्माण के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि भूमि मूल्य का 20 प्रतिशत भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के साथ कृषि से सामुदायिक भू–उपयोग में परिवर्तन करने तथा भूखण्ड क्षेत्रफल मे छूट(मानक–5000 वर्ग मी0, उपलब्ध 4330 वर्गमीटर) प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

अनुपूरक विषय कमांक :– 2 श्री एन0एस0 रावत , वैयक्तिक सहायक आयुक्त / अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पूर्व स्वीकृत रूपये 500/–के स्थान पर रू0 1000/– प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा कार्य के महत्व को देखते हुए मानदेय 650/–रू0 के प्रतिमाह दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया तथा निर्देश दिये गये कि वैयक्तिक सहायक के वेतनमान का कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होने पर ''प्रतिनियुक्ति भत्ता'' किस दर से आहरित करता, इसका विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही उपसचिव)

अनुपूरक विषय कमांकः– 3 53 एफ राजपुर में बकरालवाला रोड पर श्री जयदीप उप्रेती द्वारा प्रस्तुत मन्दिर कॉम्पलेक्स के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सचिव वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकृति के प्रकरण संवेदनशील होते है। अतः उचित होगा कि शासन से स्वीकृति उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृति पर विचार किया जाय। अतः बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

अनुपूरक विषय कमांकः–4 जनरल महादेवसिंह मार्ग पर खसरा न0 237/2 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोशन लि0 द्वारा स्थापित किये जाने वाले पेट्रोल पम्प की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवेदिका के दोनो बच्चे " थैलसेमिया" नामक गम्भीर रोग से ग्रसित है। बोर्ड द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से राय प्राप्त करने के उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लेते हुए, आवासीय आर–3 भू–उपयोग मे पैट्रोल पम्प की अनुमति के साथ साथ भूखण्ड क्षेत्रफल में छूट (मानक– 36 मीटर x 40 मीटर, उपलब्ध 20 मीटर x 22 मीटर) हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सहायक अभियंता)

अनुपूरक विषय क्रमांकः–5 सचिव के लिए आवास हेतु भवन को किराये पर लेने के सम्बन्ध में।

बैठक में बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में अभी तक अधिकारियों के लिये आवास उपलब्ध नहीं है। वर्तमान सचिव, श्री विक्रम सिंह नेगी , प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारी है और देहरादून में राज्य सरकार के अधिकारियों की अधिक संख्या के सापेक्ष सरकारी आवास काफी कम होने तथा उनके वर्तमान में बाह्य सेवा में तैनात होने के कारण उन्हें सरकारी आवास आंवटित होने की सम्भावना बहुत कम है। श्री नेगी वर्तमान में वेतनमान 12,000–375–26500 में कार्यरत है और इस समय रूपये 13,500 का मूल वेतन प्राप्त कर रहें है। शासन में तैनाती की स्थिति में इस वेतन स्लैब पर श्री नेगी को शासनादेश संख्या 470/ एक –6 – 08–रा0स0/2001 (राज्य सम्पत्ति विभाग) दिनांक 21.4.2001 के अनुरूप रू0 5500.00 प्रतिमाह लीज रैन्ट किराये के रूप में अनुमन्य होता। अतः श्री नेगी को वर्तमान में इसी के अनुरूप मासिक किराया प्राधिकरण से अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी प्राधिकरण में कार्यरत सचिवों हेतु भवन किराये पर लिये गये थे। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त श्री नेगी को किराये पर भवन उपलब्ध कराये जाने पर उन्हें अनुमन्य भवन किराया भत्ता देय नहीं होगा।

बैठक में चर्चा के उपरान्त उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही उपसचिव)